

हाथरस : अवैध रूप से संचालित खाद का गोदाम सील, मुकदमा दर्ज



अलीगढ़ व्यूरो

Updated Wed, 20 Oct 2021 12:13 AM IST



खाद के गोदाम पर छापेमारी करते कृषि विभाग के अधिकारी। संवाद - फोटो : HATHRAS

संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।

एक तरफ जहां जिले में किसान डीएपी खाद की किल्लत से परेशान हैं तो वहीं कई जगहों पर कालाबाजारी के साथ नकली खाद बेचने की भी सूचनाएं प्रशासन को मिल रही हैं। सूचना पर हाथरस जंक्शन में जिला कृषि अधिकारी ने छापा मारकर गोदाम सील कर दिया। डीएओ ने खाद के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। इस मामले में मुकदमा भी कायम कराया गया है।

डीएपी खाद की किल्लत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फसल की बुआई में देरी हो रही है और किसानों को घंटों लाइन में लगकर भी सहकारी समितियों पर खाद नहीं मिल रही। वहीं कुछ स्थानों पर खाद की कालाबाजारी के मामले भी सामने आ रहे हैं। कृषि विभाग की टीम ने हाथरस जंक्शन में फरौती रोड पर एक टैंपो में कुछ खाद के कट्टे पकड़ लिए।

जांच करने पर टीम को यह खाद नकली प्रतीत हुआ। इस पर जिला कृषि अधिकारी आरके सिंह उस गोदाम पर पहुंचे, जहां से यह खाद भेजा जा रहा था। वहां न तो उर्वरक बिक्री का कोई लाइसेंस मिला और न ही भंडारण का। कट्टों पर भी पूरा विवरण नहीं लिखा था। ऐसे में यह खाद नकली प्रतीत हो रही थी।

गोदाम बिजनौर निवासी विकास त्यागी नाम के युवक का है। टीम ने वहां से ब्रह्मपुत्र एग्रीकेयर कंपनी के कैलिशियम के 53 बैग और हिंदुस्तान एग्रो कंपनी के 52 बैग कब्जे में लेकर गोदाम को सील कर दिया। इस मामले में थाना हाथरस जंक्शन में विकास त्यागी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत मुकदमा कायम कराया है।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/hathras/hathras-illegally-operated-manure-warehouse-sealed-case-filed-hathras-news-ali2761488102>